

A-23024/05/2023-Admn.III
Government of India
Ministry of Communications
Department of Telecommunications
Sanchar Bhawan, 20 Ashoka Road,
New Delhi – 110 001

Dated ^{3rd} November 2023

VACANCY CIRCULAR

Subject: Engagement of retired Staff Car Drivers from Central Government/ State Government/ Union Territories Staff Car Drivers in Department of Telecommunications purely on contractual basis

Department of Telecommunications (DoT) invites applications from eligible retired Staff Car Drivers of Central Government/ State Government/ Union Territories having considerable experience, for engagement as Staff Car Driver purely on contractual basis in this Department initially for a period of one year. On such engagement, they shall be called Re-engaged Staff Car Driver (SCD). **The aforesaid engagement shall not be considered as a case of re-employment.**

2. Number of Posts for engagement – 01 (One), which is subject to change.
3. The terms and conditions of engagement of retired Staff Car Drivers on contractual basis in Department of Telecommunications are given as under:

i. **Eligibility:**

- a. Must have retired from Central Government/ State Government/ Union Territories as Staff Car Driver.
- b. Must have driving license valid for a minimum period of one year from the last date of receipt of applications.
- c. Must have good health and eye sight as per the standard as required for obtaining Driving License. A good health certificate including Vision test may be provided from Government Hospital prior to engagement.
- ii. **Period of engagement:** The period of engagement shall ordinarily be for an initial period not exceeding 1 (one) year. The same shall be extendable on satisfactory report by the reporting officer or till the posts are filled on regular basis, whichever is earlier. The engagement of Re-engaged SCD would be on full-time basis and they would not be permitted to take up any other assignment during the period of engagement in the Department of Telecommunications.
- iii. **Age:** The age of the candidate applying for engagement as Re-engaged SCD on contract basis shall not be more than 62 years. However, in deserving cases and for reasons to be recorded in writing, the individual can be hired up to the age of 64 years.

iv. **Remuneration:**

- a. A fixed monthly amount shall be admissible, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. Basic pension shall be inclusive of commuted portion of pension, if any. The amount so fixed shall remain unchanged for the term of the contract. There will be no annual increment/ percentage increase during the contract period.

- b. No Increment and Dearness Allowance shall be allowed during the term of contract.
- v. **House Rent Allowance:** No HRA shall be admissible.
- vi. **Transport Allowance:** An appropriate amount as Transport Allowance for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be fixed and restricted to the rate applicable to the appointee at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged during the term of appointment.
- vii. **Leave of absence:** Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service. Accumulation of leave beyond a calendar year may not be allowed.
- viii. **TA/DA:** If a Re-engaged SCD is asked to perform outstation duties he may be paid TA/ DA applicable in the case as per his entitlements before his retirement as per TA rules in the case of retired Govt. servants.
- ix. **Other facilities:** No other facilities shall be provided. The person engaged on contract basis shall not be entitled to any other benefit like Provident Fund, Pension, Insurance, Gratuity, Medical Attendance Treatment, Seniority, Promotion etc. or any other benefits as available to the regular Government servant.
- x. **Tax Deduction at Source (TDS):** TDS as admissible shall be deducted from the monthly remuneration paid. A TDS certificate shall be issued by the concerned DDO on demand.
- xi. **Termination of engagement:** The engagement of the Re-engaged SCD can be terminated by the Department of Telecommunications at any time without assigning any reason thereof. However, if the Re-engaged SCD is not willing to continue for whatsoever reasons may be, he shall give minimum one month's notice to the office.
- xii. **Decision of selection committee will be final and binding on all candidates.**
4. The physical application (Annexure-I) duly filled in and complete in all respects must be received at the following address latest by **20th November, 2023**.
- “Smt. Prasann Kujur
Under Secretary to the Government of India
4^h Floor, Sanchar Bhawan
20 Ashoka Road, New Delhi-110001
Tele. 011-23036246”**
5. Any application received after the prescribed date will not be entertained.
6. Administration reserves the right to increase or decrease the number of posts for which engagement is proposed or not to fill in the posts at all, depending on requirement and circumstances, without any prior notice.


 (Prasann Kujur)

Under Secretary to the Government of India

Tele.: 011-23036246

To,

1. **E-office Notice Board/ Office Notice Board, DoT (Hq.)**
2. **DoT Website**
3. **All Ministries and Departments**
4. **Under Secretary D(Res-I), Department of Ex-servicemen Welfare, Sena Bhawan, New Delhi – 110001**
5. **Directorate General Resettlement, West Block-4, RK Puram, New Delhi – 110066**
6. **OL Section – for Hindi Translation**
7. **Guard File**

ANNEXURE-I**Application for the post of Staff Car Driver purely on Contractual Basis in the Department of
Telecommunications, New Delhi**

1	Full Name (in block letters)	
2	Father's/ Husband's Name	
3	Contact Number	
4	Date of Birth	
5	Date of joining Government Service	
6	Date of retirement	
7	Age on 20.10.2023	
8	Address for communication	
9	Post from which retired (enclose copy of retirement order)	
10	Name of the Ministry/ Department from which retired	
11	Last Pay Drawn (enclose LPC copy)	
12	PPO No. (enclose copy)	
13	Education/ Technical qualification (enclose certificates)	
14	Driving License No. (minimum one year validity) (enclose copy)	
15	Brief particulars of Experience of the last 5 years (assignment-wise) [A separate sheet may be annexed]	
16	Does the Candidate have any medical Condition that can affect safe performnace of the driving job? If yes, details on a separate sheet of paper	

I hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand and agree that in the event of any information being found false OR incorrect/ incomplete or ineligibility being detected at any time before or after selection/ interview, my candidature is liable to be rejected and I shall be bound by the decision of the Department of Telecommunications. I have read this circular and ready to accept all the terms and conditions for engagement of retired Staff Car Drivers purely on contractual basis.

Signature

Place:

Date:

(Full name of the applicant)

ए-23024/05/2023-प्रशा.।।।

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, 20 अशोक रोड़,
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 03 नवंबर, 2023

विषय: दूरसंचार विभाग में केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के सेवा निवृत्त स्टाफ कार चालकों की पूर्णतः संविदा के आधार पर नियुक्ति।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) केंद्र सरकार/राज्य क्षेत्रों के पात्र सेवानिवृत्त स्टाफ कार चालकों से इस विभाग में फिलहाल एक वर्ष की अवधि के लिए पूर्णतः संविदा के आधार पर स्टाफ कार चालक के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। ऐसी नियुक्ति पर उन्हें पुनर्नियुक्त स्टाफ कार चालक (एससीडी) कहा जाएगा। उपर्युक्त नियुक्ति को पुनः रोजगार का मामला नहीं माना जाएगा।

2. नियुक्ति के लिए पदों की संख्या-01 (एक), जो परिवर्तन के अधीन है
3. दूरसंचार विभाग में संविदा आधार पर सेवानिवृत्त स्टाफ कार चालकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं:

i. पात्रता:

- क) आवेदक केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों से स्टाफ कार चालक के रूप में सेवानिवृत्त हो।
- ख) आवेदक के पास आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- ग) ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के मानदंडों के अनुसार यथा अपेक्षित स्वास्थ्य और दृष्टि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए नियुक्ति से पहले सरकारी अस्पताल द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जमा कराया जाए जिसमें दृष्टि जांच की रिपोर्ट शामिल हो।

- ii. नियुक्ति की अवधि: नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि सामान्यतः 1 (एक) वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं होगी। यह अवधि रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा संतोषजनक रिपोर्ट देने या पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जा सकता है। पुनर्नियुक्त एससीडी की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी और उन्हें

- दूरसंचार विभाग में नियुक्ति की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
- iii. **आयु:** संविदा आधार पर पुनःनियुक्त एससीडी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि उचित मामलों में कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए व्यक्ति को 64 वर्ष की आयु तक काम पर रखा जा सकता है।
- iv. **पारिश्रमिक:**
- क. सेवानिवृत्ति के समय लिए गए वेतन से मूल पेंशन में कटौती करके एक निश्चित मासिक राशि देय होगी। मूल पेंशन में पेंशन का कम्प्यूटेड हिस्सा, यदि कोई हो, शामिल होगा। इस प्रकार निर्धारित राशि संविदा की इस अवधि के लिए समान रहेगी। अनुबंध अवधि के दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि नहीं होगी।
- ख. अनुबंध की अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- v. **मकान किराया भत्ता:** कोई एचआरए स्वीकार्य नहीं होगा।
- vi. **परिवहन भत्ता:** निवास और कार्य स्थल के बीच आवागमन के उद्देश्य से परिवहन भत्ते के रूप में एक उपयुक्त राशि तय की जाएगी और सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू दर तक सीमित होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।
- vii. **अनुपस्थिति की छुट्टी:** सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिनों की दर से अनुपस्थिति का भुगतान अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। एक कैलेंडर वर्ष से आगे छुट्टी के संचय की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- viii. **टीए/डीए:** यदि किसी एससीडी को स्टेशन के बाहर ड्यूटी करने के लिए कहा जाता है, तो उसे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के मामले में टीए नियमों के अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति से पहले उसकी पात्रता के अनुसार इस मामले में लागू टीए/डीए का भुगतान किया जा सकता है।
- ix. **अन्य सुविधाएं:** कोई अन्य सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति भविष्य निधि, पेंशन, बीमा, ग्रेच्युटी, चिकित्सा उपस्थिति उपचार, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि जैसे किसी अन्य लाभ या कोई अन्य लाभ जो नियमित सरकारी कर्मचारी के लिए उपलब्ध है का हकदार नहीं होगा।

- x. **स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस):** स्वीकार्य टीडीएस भुगतान किए गए मासिक पारिश्रमिक से काटा जाएगा। मांगने पर संबंधित डीडीओ द्वारा टीडीएस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- xi. **अनुबंध की समाप्ति:** दूरसंचार विभाग द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए फिर से काम पर लगाए गए एससीडी की नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है। हालांकि यदि फिर से नियुक्त किया गया एससीडी किसी भी कारण से जारी रखने के लिए इच्छुक नहीं हो, तो वह कार्यालय को कम से कम एक महीने का नोटिस देगा।
- xii. **चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा।**
4. विधिवत भरा हुआ और सभी प्रकार से पूर्ण वास्तविक आवेदन (अनुबंध-1) **20 नवंबर, 2023** तक निम्नलिखित पते पर प्राप्त होना चाहिए।

“प्रसन्न कुजूर
अवर सचिव, भारत सरकार
कमरा नं. 411, चौथी मंजिल, संचार भवन
20 अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001
दूरभाष: 011-23036246”

5. निर्धारित तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. प्रशासन के पास आवश्यकता और परिस्थितियों के आधार पर प्रस्तावित नियुक्त वाले पदों की संख्या को बढ़ाने व घटाने या पदों को बिल्कुल भी नहीं भरने का अधिकार सुरक्षित है।

428007
03/11/2023
(प्रसन्न कुजूर)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23036246

सेवा,

1. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड/ऑफिस नोटिस बोर्ड, दूरसंचार विभाग (मुख्यालय)
2. डीओटी वेबसाइट
3. सभी मंत्रालय एवं विभाग
4. अवर सचिव डी (पूनर्गठन-1), पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, सेना भवन नई दिल्ली-110001
5. पुनर्वास महानिदेशालय, वेस्ट ब्लॉक-4 आरकेपुरम, नई दिल्ली-110066
6. गार्ड फाइल

दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली में पूर्णतः अनुबंध आधारित स्टाफ कार चालक के पद के लिए आवेदन

1	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)																			
2	पिता/पति का नाम																			
3	दूरभाष/मोबाइल नं.																			
4	जन्मतिथि																			
5	राजकीय सेवा में आने की तिथि																			
6	सेवानिवृत्ति की तिथि																			
7	दिनांक 20.10.2023 को उम्र																			
8	पत्र व्यवहार का पता																			
9	पद जिससे सेवानिवृत्त हुए हैं (सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति संलग्न करें)																			
10	मंत्रालय/विभाग का नाम जहां से सेवा निवृत्त हुए हैं																			
11	आहरित अंतिम वेतन/ अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र																			
12	पेंशन भुगतान आदेश क्रं.(प्रति संलग्न करें)																			
13	शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)																			
14	डाइविंग लाइसेंस क्रं.(न्यूनतम एक वर्ष की वैधता) (प्रति संलग्न करें)																			
15	अंतिम 5 वर्षों के अनुभव का संक्षिप्त विवरण (असाइनमेंट के अनुसार) [अलग से शीट संलग्न किया जा सकता है]																			
16	क्या आवेदक को कोई चिकित्सकीय समस्या है जो चालक कार्य के सुरक्षित निष्पादन को प्रभावित कर सकती है यदि हां तो अलग पृष्ठ पर विवरण दें।																			

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण मेरे जानकारी एवं विश्वास में पूर्णतः सत्य एवं सही है। मैं समझता हूँ कि और सहमत हूँ कि किसी भी सूचना के असत्य अथवा गलत/अधूरी अथवा साक्षात्कार/चयन से पूर्ण अथवा पश्चात् किसी भी समय अयोग्यता पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी अस्वीकार करने योग्य होगी और मैं दूरसंचार विभाग के निर्णय के अधीन रहूंगा। मैंने इस परिपत्र को पढ़ लिया है और पूर्णतः अनुबंध आधार पर सेवानिवृत्ति स्टाफ कार चालक की नियुक्ति के लिए सभी नियम और शर्तों को स्वीकार करने को तैयार हूँ।

हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

(आवेदक का पूरा नाम)